उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2
संख्या-9/2017/आडिट-2-1239/दस-2017-370(6)/2017
लखनऊ :: दिनांक 25 अगस्त, 2017
कार्यालय-ज्ञाप

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या-अधि0/2017-18/क-**01**, दिनांक **30-06-2017** द्वारा श्री द्विजेश चन्द्र लाल, सहायक निदेशक का स्थानान्तरण सम्वर्ती सम्परीक्षा पं0 दीन दयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वाराणसी के पद पर किया गया था।

2- उपरोक्त के क्रम में शासन को सम्बोधित श्री द्विजेश चन्द्र लाल, सहायक निदेशक का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि श्री लाल के माता-पिता की उम्र लगभग 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है। माता जी की चिकित्सा विगत कई वर्षों से गोरखपुर की न्यूरो विशेषज्ञ डा0 अंजू जायसवाल से चल रही है किन्तु विशेष लाभ न मिल पाने के कारण चिकित्सक द्वारा उन्हें एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में इलाज कराने की सलाह दी है। उक्त के अतिरिक्त श्री लाल के पिता जी की चिकित्सा मेदान्ता हास्पिटल,गुडगॉव से होती है। माता-पिता पूरी तरह श्री लाल पर ही आश्रित हैं।

3- उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री द्विजेश चन्द्र लाल, सहायक निदेशक का जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वाराणसी के पद पर किया गया स्थानान्तरण निरस्त करते हुए श्री द्विजेश चन्द्र लाल, सहायक निदेशक का स्थानान्तरण संजय गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में सहायक निदेशक सम्वर्ती सम्परीक्षा के पद पर एतदद्वारा किया जाता है।

कुमुदलता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-9/2017/आडिट-2-1239/दस-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कार्यालय, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वाराणसी
4- उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/लखनऊ मण्डल, लखनऊ/वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/कलेक्ट्रेट लखनऊ/वाराणसी सम्बन्धित मण्डल/जनपद।
6- सम्बन्धित अधिकारी।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।